



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 526]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 30, 2007/अग्रहायण 9, 1929

No. 526]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 30, 2007/AGRAHAYANA 9, 1929

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2007

सा.का.नि. 744(अ).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) के भाग-61 के उप-भाग (2) के खण्ड (झ), (प) और (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, एतद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :-

अध्याय 1

सामान्य

1. लघु शीर्षक, प्रारम्भण और व्याख्या - (1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (व्यापार संचालन, शिकायतें प्राप्त करना एवं जांच करना) विनियामक, 2007 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा- (1) इन विनियमों में जब तक अन्यथा संदर्भ में अपेक्षित न हो;

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 से है;

(ख) "बोर्ड" से अभिप्राय भाग 3 के उप-भाग (1) के अंतर्गत स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड से है;

(ग) "अध्यक्ष" से अभिप्राय भाग 4 के अंतर्गत गठित अध्यक्ष मण्डल से है;

(घ) "शिकायत" से अभिप्राय अधिनियम के भाग 25 में उल्लिखित "शिकायत" से है;

(ङ) "सदस्य" से अभिप्राय अधिनियम के भाग 4 के अंतर्गत नियुक्त बोर्ड के सदस्य से है;

(च) "अधिकारी" से अभिप्राय बोर्ड के अधिकारी से है;

(छ) "याचिका" से अभिप्राय सभी याचिकाओं या शिकायतों, आवेदन-पत्र, अभ्यावेदन, उत्तर, प्रत्युत्तर, अनुपूरक अभिवचन, अन्य कागजात और दस्तावेज से है;

(ज) "कार्यवाहियों" से अभिप्राय ऐसी सभी प्रकार की कार्यवाहियों से हैं जो बोर्ड अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों के निर्वहन में करेगा।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द या अभिव्यक्तियों, जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन अधिनियम में व्याख्या की गई है, का अर्थ वही होगा जो अधिनियम में है।

(3) जब तक यहां अथवा अधिनियम में परिभाषित न किया गया हो, इन विनियमों पर समय-समय पर यथासंशोधित सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 के प्रावधान लागू होंगे।

3. बोर्ड के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्य घण्टे- जब तक अन्यथा निर्देश न दिया जाए, बोर्ड का मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय शनिवार, रविवार और केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित केन्द्र सरकार की छुट्टियों के अलावा रोजाना खुलेंगे। कार्यालय का समय प्रातः 9.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक होगा।

4. जहां किसी कार्य को करने का अंतिम दिन ऐसे दिन पड़ता है जिस दिन बोर्ड का कार्यालय बंद हो और इस कारण से वह कार्य उस दिन न किया जा सकता हो, तो उसे अगले दिन किया जा सकता है जिस दिन कार्यालय खुला हो।

5. बोर्ड उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी तारीख और समय पर मुख्यालय या अन्य किसी स्थल पर मामलों की सुनवाई के लिए बैठकें आयोजित कर सकता है।

6. बोर्ड की भाषा - जब तक अन्यथा बोर्ड द्वारा निर्णय न लिया जाए, बोर्ड की कार्यवाहियां अंग्रेजी या हिन्दी में की जाएंगी।

7. बोर्ड द्वारा कोई याचिका, शिकायत, दस्तावेज या अन्य सामग्री अंग्रेजी या हिन्दी के अलावा अन्य किसी भाषा में स्वीकार नहीं की जाएगी, जब तक कि उसका अंग्रेजी या हिन्दी में अनुवाद संलग्न न हो:

बशर्ते कि यह ऐसी याचिका, शिकायत, दस्तावेज या अन्य सामग्री प्रस्तुत करने वाली पार्टी का दायित्व होगा कि वह उसका अंग्रेजी या हिन्दी में सही अनुवाद उपलब्ध कराए:

आगे यह भी कि बोर्ड उपयुक्त मामलों में अंग्रेजी या हिन्दी में अनुवाद, जैसी भी स्थिति हो, का सत्यापन किसी व्यक्ति या निकाय, जिन्हें वह उपयुक्त समझता हो, से करा सकता है, और ऐसे अनुवाद का वही अर्थ होगा जैसा उस व्यक्ति या निकाय द्वारा सत्यापित किया गया हो।

8. बोर्ड की मोहर - बोर्ड की अपनी मोहर होगी।

9. बोर्ड की मोहर लगाना - बोर्ड की मोहर बोर्ड के संकल्प के अनुसरण को छोड़कर किसी प्रपत्र पर नहीं लगाई जाएगी।

10. संविदा लागू किए जाने की पद्धति और तरीका - (i) बोर्ड द्वारा किसी ओर से की जाने वाली किसी संविदा पर सचिव द्वारा या इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा विधिवत अधिकृत अन्य किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(2) किसी संविदा से संबंधित किसी दस्तावेज पर सचिव द्वारा या इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा विधिवत अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा बोर्ड की ओर से हस्ताक्षर और सत्यापन किया जाएगा।

(3) इस विनियम के प्रावधानों के अनुसार किए गए सभी करार वैध होंगे तथा बोर्ड के लिए बाध्यकारी होंगे।

11. लेखा और दस्तावेज पर किसके हस्ताक्षर होंगे - (1) अध्यक्ष द्वारा नामित सचिव या किसी अधिकारी को एतद् द्वारा बोर्ड के लिए और उसकी ओर से अनेक प्रकार से पराक्राम्य लिखत, स्टॉक प्राप्ति, स्टॉक, डिबेंचर, शेयरों, प्रतिभूतियों और बोर्ड के नाम पर या बोर्ड द्वारा धारित चल और अचल परिसंपत्तियों से संबंधित शीर्षक प्रलेख का पृष्ठांकन और हस्तांतरण करने, और बोर्ड के वर्तमान और प्राधिकृत व्यापार में विनिमय बिलों और अन्य दस्तावेजों को निकालने, स्वीकृत और पृष्ठांकित करने तथा ऐसे कारोबार से संबद्ध अन्य सभी लेखाओं, रसीदों और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार दिया जाता है।

(2) विधिक कार्यवाहियों से संबद्ध वाद-पत्रों, लिखित विवरणों, शिकायतों, शपथ-पत्रों, याचिकाओं और अन्य किसी दस्तावेज पर सचिव द्वारा या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी जो बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा, द्वारा बोर्ड की ओर से हस्ताक्षर तथा सत्यापन किया जाएगा।

12. बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियों में भागीदारी - (1) बोर्ड किसी एसोसिएशन या अन्य निगमित निकाय या उपभोक्ताओं के किसी समूह को बोर्ड के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों में भाग लेने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।

(2) बोर्ड कार्यवाहियों को समय पर पूरा करने की दृष्टि से उपर्युक्त संदर्भित एसोसिएशनों/समूहों को एकत्र होने का निर्देश देने के लिए स्वतंत्र होगा ताकि वे सामूहिक शपथ-पत्र बना सकें।

(3) बोर्ड जब कभी उपर्युक्त समझे, उसके समक्ष प्रस्तुत करने के प्रयोजनार्थ एसोसिएशनों, समूहों, मंचों या नियमित निकायों को मान्यता देने के लिए किसी प्रक्रिया को अधिसूचित कर सकता है।

13. उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व - (1) अध्यक्ष, यदि आवश्यक समझे, तो उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बोर्ड के किसी अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है।

(2) बोर्ड उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने वालों के लिए नियुक्त किसी अधिकारी या व्यक्ति को कार्यवाहियों में ऐसी पार्टियों के शुल्क, लागत और खर्चों का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है, जिसे बोर्ड उपर्युक्त समझता हो।

अध्याय II

बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियों से संबंधित सामान्य नियम

14. **बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियां, आदि** - बोर्ड समय-समय पर सुनवाई, बैठकों, चर्चाओं, विचार-विमर्शों, जांच अन्वेषणों और परामर्शों का आयोजन कर सकता है जिन्हें वह अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों के निर्वहन में उपयुक्त समझता हो:

बशर्ते कि बोर्ड की बैठकों को समय-समय पर संशोधित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (बोर्ड की बैठकें) विनियम, 2007 के अनुसार बुलाया जाए।

15. **खण्डपीठ द्वारा विवादों का निपटान** - सदस्य (विधि) और अध्यक्ष द्वारा नामित एक या अधिक सदस्यों वाले खण्डपीठ द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के भाग 24 के अंतर्गत विवादों पर निर्णय लिया जाएगा।

16. **प्रतिनिधित्व करने का अधिकार** - कोई व्यक्ति किसी अधिवक्ता या पेशा-प्रमाणपत्र रखने वाले किसी सांविधिक व्यावसायिक निकाय के सदस्य को अधिकृत कर सकता है जिसे बोर्ड समय-समय पर बोर्ड के समक्ष उसकी ओर से प्रतिनिधित्व करने तथा कार्रवाई एवं पैरवी करने के लिए विनिर्दिष्ट कर सकता है। वह व्यक्ति बोर्ड के समक्ष स्वयं भी उपस्थित हो सकता है या अपने किसी कर्मचारी को अधिकृत कर सकता है जो उसकी ओर से कार्रवाई और पैरवी करेगा। बोर्ड समय-समय पर निबंधन और शर्तों को विनिर्दिष्ट करेगा, जिसके अधीन संबंधित व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति को उसकी ओर से प्रतिनिधित्व करने तथा कार्रवाई और पैरवी करने के लिए अधिकृत कर सकता है।

17. **कार्यवाहियों का प्रारम्भण** - (1) बोर्ड अपने आप से या अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी प्रभावित या संबद्ध व्यक्ति द्वारा दायर याचिका या शिकायत पर कोई कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है।

(2) कार्यवाहियां प्रारम्भ करने का नोटिस बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा और बोर्ड ऐसे प्रभावित पक्षों को नोटिस देने, याचिका के विरोध या पक्ष में उत्तर और प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने या उसके निर्देशानुसार शिकायत दर्ज करने के लिए ऐसे आदेश और निर्देश दे सकता है जैसा वह आवश्यक समझता हो। बोर्ड, यदि उपयुक्त समझे, तो कार्यवाहियों में शामिल मुद्दों, उस रूप में जैसा बोर्ड निर्देश करे, पर टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए याचिका या शिकायत के प्रकाशन के लिए आदेश जारी कर सकता है।

(3) जांच का नोटिस जारी करते समय बोर्ड, उपयुक्त मामलों में, बोर्ड के किसी अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति, जिसे बोर्ड मामले में याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता की हैसियत से मामले को प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त समझता हो, को अधिकृत कर सकता है।

18. बोर्ड के समक्ष याचिकाएं या शिकायतें और पैरवी - बोर्ड के समक्ष दायर की जाने वाली सभी याचिकाएं या शिकायतें सफेद कागज के एक ओर स्पष्ट रूप से और पढ़ने योग्य टाइप, साइकलोस्टाइल या मुद्रित होनी चाहिए और प्रत्येक पृष्ठ पर क्रम से नम्बर लिखा होना चाहिए। याचिका या शिकायत की विषय-वस्तु अलग-अलग पैराओं में उपयुक्त रूप से विभाजित होनी चाहिए, जिन पर क्रम से नम्बर लगा हो। याचिका या शिकायत के साथ आंकड़े और विवरण देने वाले ऐसे दस्तावेज लगे होने चाहिए जैसा बोर्ड ने विनिर्दिष्ट किया हो।

19. सामान्य शीर्षक और शिकायत का स्वरूप - बोर्ड के समक्ष सभी याचिकाओं या शिकायतों तथा सभी प्रकाशनों और नोटिस में सामान्य शीर्षक प्रपत्र-। में होंगे। प्रत्येक याचिका या शिकायत प्रपत्र-।। या यथासंभव उससे मिलती-जुलती होगी।

20. समर्थन में शपथपत्र - (1) याचिकाओं या शिकायतों का सत्यापन शपथपत्र द्वारा किया जाएगा और ऐसा प्रत्येक शपथपत्र प्रपत्र-।।। में होगा।

(2) प्रत्येक शपथपत्र उत्तम पुरुष में तैयार किया जाएगा और उसमें अभिसाक्षी का पूरा नाम, आयु, व्यवसाय और पत्तों का उल्लेख होना चाहिए तथा जिस हैसियत से वह शपथपत्र पर हस्ताक्षर कर रहा है और करेगा और किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा जिसे विधि द्वारा शपथ लेने और प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया हो।

(3) प्रत्येक शपथपत्र में विवरणों को स्पष्ट और पृथक् रूप से दर्शाया जाएगा जो-

क) अभिसाक्षी की जानकारी में;

ख) अभिसाक्षी द्वारा प्राप्त जानकारी; और

ग) अभिसाक्षी के विचार में सत्य हैं।

(4) जहां शपथपत्र में दिया गया कोई विवरण अभिसाक्षी द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार सत्य पाया जाता है तो शपथपत्र में सूचना के स्रोत का उल्लेख तथा यह वक्तव्य भी दिया जाएगा कि अभिसाक्षी का मानना है कि यह सूचना सही है।

21. यदि कोई व्यक्ति बोर्ड की किसी कार्यवाही में या किन्हीं कार्यवाहियों में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रयोजनार्थ झूठा साक्ष्य गढ़ता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 193 के अनुसार दण्ड पाने का हकदार होगा।

22. याचिकाओं या शिकायतों को प्रस्तुति और संवीक्षा - (1) सभी याचिकाओं या शिकायतों की दस प्रतियां प्रस्तुत की जाएंगी और याचिका या शिकायत का प्रत्येक सेट सभी दृष्टि से पूर्ण होगा। बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क याचिका या शिकायत के साथ देय होगा।

(2) सभी याचिकाओं या शिकायतों को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिवत अधिकृत एजेंट या मुख्यालय के प्रतिनिधि या ऐसे अन्य प्रस्तुति केन्द्र या केन्द्रों पर दिया जाएगा जैसा कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर और अधिसूचित समय के दौरान अधिसूचित किया जाता है। याचिकाओं और शिकायतों को ऊपर उल्लिखित स्थलों पर बोर्ड को पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा भी भेजी जा सकती हैं। अधिवक्ता के पक्ष में वकालतनामा, यदि याचिकाओं या शिकायतों को किसी अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो प्रतिनिधित्व को अधिकृत करने वाले दस्तावेज याचिका या शिकायत के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे, यदि मामला दर्ज करते समय ऐसा पहले से नहीं किया गया हो।

(3) याचिका या शिकायत प्राप्त होने पर याचिका या शिकायत प्राप्त करने के उद्देश्य से अधिकृत बोर्ड का अधिकारी जिस तारीख को याचिका या शिकायत प्रस्तुत की गई है, पर मोहर और तारीख लिखकर पावती देगा तथा याचिका या शिकायत दायर करने वाले व्यक्ति को मोहर और तारीख सहित रसीद जारी करेगा। यदि याचिका या शिकायत पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त होती है तो जिस तारीख को बोर्ड के कार्यालय में याचिका या शिकायत वास्तव में प्राप्त होती है, वही तारीख याचिका या शिकायत प्रस्तुत करने की तारीख मानी जाएगी।

(4) याचिका या शिकायत की प्रस्तुति और प्राप्ति पर विधिवत नम्बर लगाए जाएंगे और उन्हें बोर्ड के कार्यालय द्वारा इस उद्देश्य के लिए रखे गए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

(5) प्राप्ति अधिकारी किसी याचिका या शिकायत को प्राप्त करने से मना कर सकता है जो अधिनियम या नियमों या विनियमों के प्रावधानों या बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप न हो या अन्यथा अपूर्ण हो या जिसे बोर्ड के विनियमों या निर्देशों के अनुसार दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया गया हो।

बशर्ते कि किसी याचिका या शिकायत की पैरवी या प्रस्तुति में दोष पाए जाने पर याचिका या शिकायत देने वाले व्यक्ति को निर्धारित समयावधि, जो इस उद्देश्य के लिए दी गई हो, में दोष दूर करने के लिए मौका दिए बिना मना नहीं किया जाएगा। प्राप्ति अधिकारी दायर की गई याचिका का शिकायत में दोषों की जानकारी याचिका या शिकायत दायर करने वाले व्यक्ति को लिखित में देगा।

(6) याचिका या शिकायत प्रस्तुत करने के संबंध में प्राप्ति अधिकारी के किसी आदेश से पीड़ित कोई व्यक्ति मामलों को बोर्ड के सचिव के समक्ष उपयुक्त आदेशों के लिए प्रस्तुत किए जाने का अनुरोध कर सकता है।

(7) अध्यक्ष या इस उद्देश्य के लिए अध्यक्ष द्वारा अधिकृत कोई सदस्य पार्टी द्वारा प्रस्तुत याचिका या शिकायत मंगाने और याचिका या शिकायतों को प्रस्तुत तथा स्वीकृत करने, जैसा वह उपयुक्त समझता हो, संबंधी निर्देश देने का हकदार होगा।

(8) यदि जांच करने पर याचिका या शिकायत को अस्वीकृत नहीं किया जाता है या अस्वीकृति के किसी आदेश में सचिव या अध्यक्ष या इस उद्देश्य के लिए अधिकृत बोर्ड के सदस्य द्वारा सुधार कर लिया जाता है तो याचिका या शिकायत को विधिवत पंजीकृत किया जाएगा तथा उपर्युक्त उप-खण्ड (4) में विनिर्दिष्ट अनुसार एक नम्बर दिया जाएगा।

(9) जैसे ही याचिका या शिकायत तथा सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए जाते हैं और दोष और आपत्तियां, यदि कोई हों, को दूर कर लिया जाता है, और याचिका या शिकायत की जांच कर उस पर नम्बर लगा दिया जाता है, तो याचिका या शिकायत को प्राथमिक सुनवाई और स्वीकृति के लिए बोर्ड के

समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(10) बोर्ड पार्टी की उपस्थिति के बिना सुनवाई के लिए याचिका या शिकायत को स्वीकृत कर सकता है। बोर्ड संबंधित पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना अस्वीकृति का आदेश नहीं देगा। बोर्ड यदि उपयुक्त समझे तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को नोटिस जारी कर सकता है जिन्हें वह स्वीकृति के लिए याचिका या शिकायत की सुनवाई में उपस्थित रहना जरूरी समझता हो। शिकायत करने पर बोर्ड तीस दिनों के अंदर निर्णय करेगा कि क्या कंपनी या संबंधित कंपनियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है और वह मामले की स्वयं जांच करेगा या उसे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार न्यायाधिकार संबंधी किसी जांच अधिकारी के पास जांच हेतु भेजेगा; और जब मामले को ऐसे जांच अधिकारी को भेजा जाता है, तो उससे रिपोर्ट के प्राप्त होने पर बोर्ड अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विवाद के रूप में शिकायत की सुनवाई और निपटान कर सकता है और अन्यथा ऐसा आदेश पारित कर सकता है और निर्देश जारी कर सकता है, जैसा वह उचित समझता हो।

(11) यदि बोर्ड याचिका या शिकायत को स्वीकार करता है, तो वह प्रतिवादी (प्रतिवादियों) और अन्य प्रभावित या संबंधित पक्षों को नोटिस देने के लिए ऐसे आदेश और निर्देश दे सकता है जिससे वे बोर्ड के निर्देशानुसार तथा बोर्ड या खण्डपीठ, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत की जाने वाली याचिका या शिकायत के विरोध में उत्तर और प्रत्युत्तर दे सकें या ऐसे रूप में शिकायत कर सकें जैसा बोर्ड ने निर्देश दिया हो।

23. बोर्ड द्वारा जारी नोटिस और प्रक्रिया जारी करना - (1) बोर्ड द्वारा जारी कोई नोटिस, प्रक्रिया या सम्मन बोर्ड के निर्देशानुसार निम्नलिखित एक या अधिक पद्धति के लिए दिया जाएगा:

- क) बोर्ड के निर्देशानुसार कार्यवाहियों से संबंधित किसी पक्ष के जरिए;
- ख) संदेशवाहक द्वारा दस्ती सुपुर्दगी;
- ग) पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा;
- घ) ऐसे मामलों में समाचारपत्रों में प्रकाशन द्वारा, जिनके बारे में बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो कि ऊपर उल्लिखित पद्धति से किसी व्यक्ति को नोटिस देना प्रक्रिया करना आदि उपयुक्त रूप से व्यवहार्य न हो;

ड.) अन्य कोई पद्धति से, जिसे बोर्ड उपयुक्त समझता हो।

(2) बोर्ड प्रत्येक मामले में ऐसे व्यक्तियों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार होगा जो ऐसी सेवा या प्रकाशन की लागत को वहन करेंगे।

(3) किसी व्यक्ति को दिए या सुपुर्द किए जाने वाले प्रत्येक नोटिस या प्रक्रिया को उस व्यक्ति या उसके एजेंट को भेजा जाएगा जो उसके द्वारा दिए गए पते पर या उस स्थान पर जहां व्यक्ति या उसका एजेंट सामान्यतः रहता है या व्यापार करता है या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है, पर सेवा प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो।

(4) यदि बोर्ड के समक्ष कोई मामला लंबित हो और नोटिस दिए जाने वाले व्यक्ति ने किसी एजेंट या प्रतिनिधि को मामले में प्रस्तुत होने या उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रधिकृत किया हो तो ऐसा एजेंट या प्रतिनिधि सभी मामलों में संबंधित पक्ष की ओर से नोटिस लेने और प्रक्रिया के लिए विधिवत अधिकृत माना जाएगा और ऐसे एजेंट या प्रतिनिधि की सेवा को नोटिस दिए जाने वाले व्यक्ति की यथोचित सेवा मानी जाएगी।

(5) जहां किसी पक्ष द्वारा कार्यवाहियों के दौरान व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस दिया जाता है, वहां बोर्ड को तामील शपथपत्र संबंधित पक्ष द्वारा दिया जाएगा। जिसमें नोटिस और प्रक्रियाओं की तामील की तारीख और पद्धति का ब्यौरा दिया होगा।

(6) जहां कोई याचिका या शिकायत प्रकाशित की जानी हो, उसे बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि और ऐसे समय के अंदर समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाएगा, जैसा बोर्ड द्वारा निर्देश दिया जाए।

(7) नोटिस, सम्मन या प्रक्रियाओं या उनके प्रकाशन की तामील के संबंध में बोर्ड के विनियमों या निर्देशों की आवश्यकताओं के अनुपालन में चूक होने पर बोर्ड या तो याचिका या शिकायत को खारिज कर सकता है या ऐसा अन्य या आगे निर्देश दे सकता है जैसा वह उपयुक्त समझता हो।

(8) किसी व्यक्ति के नाम या विवरण में कोई कमी पाए जाने के कारण की जाने वाली कोई तामील या प्रकाशन को अवैध नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी तामील अन्य संदर्भों में पर्याप्त हो, और किसी कार्यवाही को किसी दोष या अनियमितता के कारण अवैध करार नहीं दिया जाएगा जब तक बोर्ड का की गई आपत्ति पर यह मत हो कि ऐसे दोष या अनियमितता से पर्याप्त अन्याय हुआ है या अन्यथा ऐसा करने के पर्याप्त कारण हों।

24. उत्तर, विरोध, आपत्तियाँ आदि दायर करना - (1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे जांच या याचिका या शिकायत का नोटिस जारी किया जाता है (इसके बाद से 'प्रतिवादी' के रूप में उल्लेख किया जाएगा), जो याचिका या शिकायत का विरोध या समर्थन करना चाहता है, का दस प्रतियों में ऐसी अवधि के अंदर अपना उत्तर और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत उत्तर में प्रतिवादी जांच नोटिस या याचिका या शिकायत में उल्लिखित तथ्यों को विशेष रूप से स्वीकृत, अस्वीकृत या स्पष्ट करेगा तथा ऐसे अतिरिक्त तथ्यों का भी उल्लेख करेगा, जिन्हें वह मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक समझता हो। उत्तर पर उसी प्रकार हस्ताक्षर और सत्यापन किया जाएगा और शपथ-पत्र संलग्न किया जाएगा जैसा याचिका या शिकायत के मामले में किया गया था।

(2) प्रतिवादी याचिकाकर्ता या शिकायतकर्ता या अपने अधिकृत प्रतिनिधि को सही प्रतियों के रूप में विधिवत प्रमाणित दस्तावेजों सहित उत्तर की एक प्रति देगा तथा बोर्ड के कार्यालय में ऐसी तामील का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

(3) जहां प्रतिवादी मामले के उचित निर्णय के लिए अतिरिक्त तथ्यों, जो आवश्यक हों, का उल्लेख करता है, वहां बोर्ड याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता को प्रतिवादियों द्वारा दायर उत्तर पर प्रतियुत्तर दायर करने की अनुमति दे सकता है। उत्तर दायर करने के लिए ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया आवश्यक परिवर्तनों सहित प्रतियुत्तर दायर करने पर भी लागू होगी।

(4) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस प्रयोजनार्थ (उन व्यक्तियों के अलावा जिनसे उत्तर मांगने के लिए नोटिस, प्रक्रिया आदि जारी की गई है) प्रकाशन के अनुसरण में बोर्ड के समक्ष लंबित मामले के संबंध में आपत्ति या टिप्पणियां दायर करना चाहता हो, वह इस प्रयोजनार्थ निर्धारित समय के अंदर दस्तावेजों और साक्ष्यों की प्रतियों सहित आपत्ति या टिप्पणियों के विवरण को बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी को सौंपेगा।

(5) बोर्ड एसोसिएशनों, मंचों और निगमित निकायों सहित ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों, जिन्हें वह बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए उपयुक्त समझता हो और यदि अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर बोर्ड यह समझता है कि ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के भाग लेने से कार्यवाहियों तथा मामले में निर्णय लेने में सुविधा होगी, को अनुमति दे सकता है।

(6) जब तक बोर्ड द्वारा अनुमति न दी जाए आपति या टिप्पणियां दायर करने वाले व्यक्ति के लिए यह जरूरी नहीं कि वह मौखिक प्रस्तुति करने के लिए कार्यवाहियों में भाग लेने का पात्र होगा। तथापि, बोर्ड आपतियों या टिप्पणियों से संबंधित कार्यवाहियों के दौरान संबंधित पक्षों को ऐसे अवसर देने के बाद आपतियों और टिप्पणियों पर विचार करने का हक होगा, जिन्हें बोर्ड उपयुक्त समझता हो।

25. मामले की सुनवाई - (1) बोर्ड मामले की सुनवाई के चरणों, पद्धति, स्थान, तारीख और समय, जैसा वह उपयुक्त समझता हो, को निर्धारित कर सकता है।

(2) बोर्ड पक्षों की पैरवियों पर मामले में निर्णय ले सकता है या पक्षों को मामले में शपथपत्र द्वारा या प्रमुख मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है।

(3) यदि बोर्ड किसी पक्ष के साक्ष्य को मौखिक प्रस्तुति द्वारा प्रस्तुत करने का निर्देश देता है तो बोर्ड, यदि आवश्यक या उचित समझे, तो साक्ष्य देने वाले व्यक्तियों की प्रतिपरीक्षा के लिए दूसरे पक्ष को अवसर प्रदान कर सकता है।

(4) यदि बोर्ड आवश्यक या उचित समझता हो तो किसी भी पार्टी के साक्ष्य को किसी अधिकारी या अध्यक्ष द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा रिकार्ड करने का निदेश दे सकता है।

(5) बोर्ड इस मामले में तर्क या निवेदन को लिखित रूप में दायर करने के लिए संबंधित पक्षों को निदेश दे सकता है।

26. आतिरेक सूचना, साक्ष्य आदि मांगने के लिए बोर्ड के अधिकार - (1) बोर्ड किसी मामले में आदेश पारित करने से पूर्व किसी समय सभी पक्षों से या किसी एक या एक से अधिक पक्षों से या किसी

ऐसे व्यक्ति से ऐसे दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है जिसे वह आदेश पारित करने के प्रयोजन से आवश्यक समझता हो।

(2) बोर्ड किसी गवाह को बुलाने, साक्ष्य में प्रस्तुत किए जाने योग्य किसी दस्तावेज या अन्य सामग्री को खोजने और प्रस्तुत करने, किसी कार्यालय के सार्वजनिक रिकार्ड को मंगाने, किसी व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में रखे गए खातों, लेखों या अन्य दस्तावेजों की बोर्ड के किसी अधिकारी द्वारा जांच किए जाने के लिए सम्मन भेजने का निदेश दे सकता है जिसे इस मामले में बोर्ड संगत समझता हो।

(3) जो कोई भी बोर्ड की किसी कार्यवाही में जानबूझकर गलत सूचना देता है या किसी कार्यवाही में इस्तेमाल किए जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 193 के अनुसार दण्डनीय होगा।

(4) जो कोई भी बोर्ड की किसी कार्यवाही की अवहेलना करता है या बाधा पहुंचाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 228 के अनुसार दण्डनीय होगा।

27. अन्य के लिए मुद्दों के संदर्भ - (1) बोर्ड कार्यवाही के किसी चरण पर मामले से संबंधित ऐसे मुद्दे या मुद्दों को बोर्ड के उन अधिकारियों और परामर्शदाताओं को संदर्भित करने का पात्र होगा जिन्हें वह विशेषज्ञ सलाह या विचार देने के लिए योग्य समझता हो।

(2) अध्यक्ष समय-समय पर किसी व्यक्ति सहित किसी अधिकारी और परामर्शदाता को स्थल या वहां स्थित किसी सुविधा की मौजूदगी या स्थिति का निरीक्षण करने और रिपोर्ट देने के लिए किसी स्थान या स्थानों का दौरा करने के लिए नामित कर सकता है।

(3) यदि बोर्ड उचित समझता हो तो संदर्भित मुद्दों या मामलों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उपर्युक्त उप-खंड (1) या (2) में पदनामित व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए पक्षों को निदेश दे सकता है।

(4) ऐसे व्यक्ति से प्राप्त हुई रिपोर्ट या विचार मामले के रिकार्ड का हिस्सा होंगे और बोर्ड द्वारा पदनामित व्यक्ति द्वारा दी गई रिपोर्ट या मत की प्रतियां पार्टियों को दी जाएंगी। पार्टियां रिपोर्ट या मत के समर्थन या विरोध में अपना पक्ष रखने की पात्र होंगी।

(5) बोर्ड उस व्यक्ति द्वारा दी गई रिपोर्ट या मत, मामले पर निर्णय करते समय पार्टियों द्वारा दिए गए उत्तर पर विचार करेगा और यदि आवश्यक समझा गया तो रिपोर्ट या मत देने वाले व्यक्ति का बोर्ड के समक्ष परीक्षण किया जाएगा।

28. पार्टी के उपस्थित न होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया - (1) सुनवाई के लिए निर्धारित की गई तारीख या ऐसी तारीख को जब सुनवाई स्थगित हो गई हो यदि दोनों में से कोई पार्टी या उनका कोई प्राधिकृत एजेंट या प्रतिनिधि सुनवाई के लिए प्रस्तुत हुए मामले में उपस्थित नहीं होता है तो बोर्ड अपने विवेकानुसार बोर्ड सुनवाई के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति या याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता के उपस्थित न रहने पर उस याचिका या शिकायत को खारिज कर सकता है या एक तरफा कार्यवाही कर सकता है।

(2) जब कोई याचिका या शिकायत में चूक होने पर या एक-तरफा निर्णय देने की स्थिति में खारिज कर दी जाती है या एक निर्णय दिया जाता है तो प्रभावित व्यक्ति खारिज किए जाने या एक-तरफा कार्यवाही किए जाने, जैसा भी मामला हो, की तारीख से तीस दिन के भीतर पारित किए गए आदेश पर पुनः विचार करने के लिए आवेदन कर सकता है और बोर्ड याचिका या शिकायत पर सुनवाई के लिए बुलाए जाने पर उपस्थित न होने के पर्याप्त कारण से संतुष्ट होने पर जैसा वह उचित समझे, उस आदेश पर पुनः विचार कर सकता है।

29. बोर्ड के आदेश - (1) बोर्ड द्वारा जारी या सूचित किए गए सभी आदेश और निर्णय अध्यक्ष द्वारा इस कार्य के लिए प्राधिकृत बोर्ड के सचिव या किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित होंगे और उन पर बोर्ड की मोहर लगी होगी।

(2) कार्यवाहियों से संबंधित बोर्ड के सभी अंतिम आदेश अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत बोर्ड के सचिव या किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से पार्टियों को भेज जाएंगे।

30. कार्यवाहियों के रिकार्डों का निरीक्षण और प्रमाणित प्रतियों की आपूर्ति - (1) प्रत्येक कार्यवाही के रिकार्ड, उन हिस्सों को छोड़कर जो बोर्ड द्वारा किन्हीं कारणों से गोपनीय या विशेषाधिकार के रूप में या किसी व्यक्ति को अन्यथा न दिए जाने के लिए निर्दिष्ट किए गए हों, को बोर्ड द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेश सहित समय, स्थान और निरीक्षण का तरीका और शुल्क का भुगतान किए जाने की शर्त का पालन करने वाला व्यक्ति कार्यवाही के दौरान या आदेश पारित होने के बाद निरीक्षण कर सकता है।

(2) कोई भी व्यक्ति बोर्ड के अभिवचनों, कागजातों और अभिलेखों के अन्य भागों के साथ-साथ बोर्ड द्वारा दिए गए आदेशों, निर्णयों, निदेशों और उनके समर्थन में दिए गए कारणों की प्रमाणित प्रतियां उपर्युक्त उप खंड (1) के तहत शुल्क का भुगतान करने और बोर्ड की अन्य शर्तों का अनुपालन करने पर प्राप्त करने का हकदार होगा जिनका निरीक्षण करने का वह पात्र है।

31. अंतरिम आदेश - बोर्ड ऐसे अंतरिम आदेश पारित कर सकता है जिन्हें बोर्ड कार्यवाहियों के किसी चरण पर उपयुक्त समझता हो।

अध्याय-III

विवादों का निपटान

32. अधिनियम की धारा 24 में उल्लिखित मामलों के संबंध में विवादों का निपटान किसी भी संबंधित व्यक्ति के आवेदन पर बोर्ड द्वारा किया जा सकता है।

33. बोर्ड किसी संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों और ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों, जिन्हें बोर्ड यह कारण बताओ नोटिस देना उपयुक्त समझता हो, कि बोर्ड द्वारा क्यों न विवाद का निपटान कर दिया जाए।

34. बोर्ड उन पार्टियों जिन्हें नोटिस जारी किए गए हैं, को सुनने के बाद और इस बात से संतुष्ट होने पर कि प्रस्तावित निपटान के खिलाफ कोई कारण नहीं देखा गया है, यह आदेश पारित कर सकता है कि बोर्ड द्वारा विवाद या मामले का निपटान कर दिया जाए।

35. विवादों के निपटान के लिए बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जहां तक संभव हो उपर्युक्त अध्याय-II में दिए गए अनुसार बोर्ड के समक्ष सुनवाई के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के समान होगी।

36. बोर्ड के समक्ष विवादों और कार्यवाहियों के निपटान का खर्च उन पार्टियों द्वारा और उतनी राशि से वहन किया जाएगा जैसा बोर्ड द्वारा निदेश दिया जाए।

अध्याय-IV

जांच, पूछताछ, सूचना एकत्र करना, आदि

37. बोर्ड सूचना एकत्र करने, पूछताछ करने, जांच करने, प्रवेश करने, तलाशी लेने, जब्ती करने के लिए उचित समझे जाने वाले और निम्नलिखित प्रावधानों के संबंध में अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा/ऐसे आदेश जारी कर सकता है।

38. बोर्ड किसी भी समय सचिव या बोर्ड के एक या अधिक अधिकारियों या परामर्शदाताओं या किसी अन्य व्यक्ति, जिसे बोर्ड अधिनियम के तहत बोर्ड के क्षेत्राधिकार में आने वाले किसी मामले के संबंध में उपयुक्त अध्ययन करने, जांच करने या सूचना देने के लिए उपयुक्त समझता हो, निदेश दे सकता है।

39. बोर्ड उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसे अन्य निदेश दे सकता है जिन्हें वह उचित समझता हो और वह समय निर्दिष्ट कर सकता है जिसके अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है या सूचना दी जानी है।

40. बोर्ड किसी व्यक्ति को उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए निदेश जारी करने हेतु सचिव या बोर्ड के किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है और अपनी ओर से खातों, लेखों आदि की जांच करने और उन्हें रखने के लिए बोर्ड के किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है।

41. बोर्ड कोई सूचना, विवरण या दस्तावेज जिन्हें बोर्ड अधिनियम के तहत अपने कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में आवश्यक समझता हो, एकत्र करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले निदेश दे सकता है।

42. यदि प्राप्त की गई ऐसी कोई रिपोर्ट या सूचना अपर्याप्त लगती हो तो बोर्ड या सचिव या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत बोर्ड का कोई अधिकारी आगे की जांच करने, रिपोर्ट और सूचना देने के लिए निदेश जारी कर सकता है।

43. बोर्ड ध्यान दिए जाने वाले आकस्मिक, परिणामी और अनुपूरक मामलों को उपर्युक्त संबंधित मामले मानने के लिए निदेश जारी कर सकता है।

44. उपर्युक्त कार्यों के निष्पादन के संबंध में बोर्ड यदि उचित समझे तो जांच का नोटिस जारी करने का निदेश दे सकता है और इन विनियमों के अध्याय-III में दिए गए तरीके से मामले पर कार्रवाई कर सकता है।

अध्याय-V

विविध

45. मृत्यु के पश्चात कार्यवाही जारी रखना - (1) किसी कार्यवाही के दौरान यदि कार्यवाही से संबंधित किसी पक्ष की मृत्यु हो जाती है या दिवालिये के रूप में वह न्याय निर्णीत है या कम्पनी के मामले में कम्पनी का समापन किया जा रहा है या बंद किया जा रहा है तो संबंधित पक्ष के हित उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, प्रापक, समापक या अन्य विधिक प्रतिनिधि के साथ कार्यवाही जारी रहेगी।

(2) बोर्ड रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से उस कार्यवाही को समाप्त हुआ मानेगा, यदि बोर्ड ऐसा करने के निदेश दे, और हित उत्तराधिकारी आदि को उस मामले के रिकार्ड पर लाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) यदि कोई व्यक्ति हित उत्तराधिकारी आदि को रिकार्ड पर लाना चाहता है तो इस प्रयोजन के लिए उसे हित उत्तराधिकारी को रिकार्ड पर लाने के लिए अपेक्षित समय से 90 दिनों के भीतर एक आवेदन देना होगा।

46. जन साधारण को कार्यवाही की जानकारी देना - (1) बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियां जनता के लिए खुली होंगी।

बशर्ते कि बोर्ड इसे उचित समझे और किसी विशिष्ट मामले की कार्यवाही के किसी चरण पर आमतौर पर जनता या किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को प्रतिबंधित करने के कारण लिखित रूप में दर्ज करे।

(2) बोर्ड की किसी कार्यवाही में जानबूझकर झूठे साक्ष्य देना या किसी कार्यवाही में इस्तेमाल करने के उद्देश्य से झूठे साक्ष्य बनाना भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 193 के अनुसार दण्डनीय होगा।

(3) बोर्ड की किसी कार्यवाही में जानबूझकर बदतमीजी करता या बाधा पहुँचाना भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 228 के अनुसार दण्डनीय होगा।

47. याचिका या शिकायत का प्रकाशन - (1) यदि अधिनियम या इन विनियमों या बोर्ड में निदेशानुसार किसी आवेदन, याचिका या शिकायत या अन्य मामले को प्रकाशित करना अपेक्षित है तो जब तक कि बोर्ड अन्यथा आदेश न दे या अधिनियम या विनियमों में अन्यथा उल्लेख न हो तो उसे सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम सात दिन पहले प्रकाशित किया जाएगा।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय ऐसे प्रकाशन पर संक्षेप में विषय वस्तु का उल्लेख किया जाएगा।

(3) प्रकाशित किए जाने वाले ऐसे प्रकाशन अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत बोर्ड के अधिकारी द्वारा अनुमोदित करवाए जाएंगे।

48. अभिलेखों का निरीक्षण और गोपनीयता - (1) बोर्ड के अभिलेख उन अंशों को छोड़कर जिन्हें किन्हीं कारणों से बोर्ड द्वारा गोपनीय या विशेषाधिकार के रूप में निर्दिष्ट किया है, को छोड़कर सभी के निरीक्षण के लिए होंगे बशर्ते कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों सहित समय, स्थान और निरीक्षण के तरीके का पालन किया जाए और शुल्क का भुगतान किया जाए।

(2) बोर्ड ऐसी निबंधनों और शर्तों, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, पर किसी व्यक्ति को बोर्ड के पास उपलब्ध दस्तावेजों और कागजातों की प्रमाणित प्रतियों की आपूर्ति करने की व्यवस्था करें।

(3) बोर्ड आदेश द्वारा बोर्ड या उसमें किसी अधिकारी, परामर्शदाता, प्रतिनिधि या अन्यथा के समक्ष प्रस्तुत कोई सूचना, दस्तावेज और अन्य कागजात तथा सामग्री, जो उनके कब्जे में या अभिरक्षा में हो गोपनीय या विशेषाधिकार होगी और वह निरीक्षण के लिए या प्रतियाँ देने के लिए उपलब्ध नहीं होगी तथा बोर्ड यह भी निदेश दे सकता है कि ऐसे दस्तावेज, कागजात या सामग्री का उपयोग बोर्ड द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत के अलावा अन्य किसी तरीके से नहीं किया जाएगा।

49. प्रक्रियाओं से संबंधित आदेश और निदेश जारी करना - इस अधिनियम और इन विनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन, बोर्ड पालन किए जाने वाले विनियमों और प्रक्रिया के कार्यान्वयन के संबंध में और विभिन्न मामलों, जिनके लिए बोर्ड को इन विनियमों द्वारा अधिकार दिए गए हैं समय-समय पर आदेश और निदेश जारी कर सकता है।

50. बोर्ड की अन्तर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति - इन विनियमों की कोई भी बात सीमित या अन्यथा ऐसे आदेश करने के लिए बोर्ड की अन्तर्निहित शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगी जो न्याय के उद्देश्य या बोर्ड की प्रक्रिया के दुरुपयोग को बाधित करती है।

51. इन विनियमों की कोई बात बोर्ड के अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप प्रक्रिया, जो इन विनियमों के किसी प्रावधान से भिन्न हो अपनाने से नहीं रोकेगी यदि बोर्ड किसी मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए लिखित में कारण दर्ज करना या ऐसे मामले या मामलों के वर्ग पर शीघ्र कार्रवाई करना आवश्यक समझता हो।

52. इन विनियमों की कोई बात अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से बोर्ड को किसी मामले पर कार्रवाई करने या अधिनियम के अधीन किसी अधिकार, जिसके लिए कोई विनियम नहीं बनाया गया है, से वंचित नहीं करेगा और बोर्ड ऐसे मामलों, अधिकारों और कार्यों पर उचित समझी जाने वाली रीति से कार्रवाई करेगा।

53. संशोधन करने की सामान्य शक्ति - बोर्ड किसी भी समय और ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझता हो अपने समक्ष आई किसी कार्यवाही में किसी कमी या त्रुटि का संशोधित कर सकता है और कार्यवाहियों में उठे प्रश्न और मुद्दे निर्धारित करने के प्रयोजन से सभी आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

54. कठिनाई निवारण की शक्ति - इन विनियमों के किसी प्रावधान को प्रभावी करने से यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो बोर्ड सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिनियम के प्रावधानों से असंगत किसी बात को कठिनाई निवारण के प्रयोजन से आवश्यक या तत्काल कार्रवाई कर सकता है।

55. निर्धारित समय-सीमा बढ़ाना या कम करना - अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन कोई कार्य करने के लिए इन विनियमों द्वारा या बोर्ड के आदेश से निर्धारित समय-सीमा को बोर्ड के

आदेश से पर्याप्त कारण होने पर बढ़ाया (समय सीमा समाप्त हो चुकी हो या नहीं) या कम किया जा सकता है।

56. अनुपालन न किए जाने का प्रभाव - इन विनियमों की किसी अपेक्षा का अनुपालन करने में विफल होने पर केवल उस विफलता के कारण किसी कार्यवाही को तब तक अविधिमान्य नहीं किया जाएगा जब तक कि बोर्ड के विचार से ऐसी विफलता से न्याय की हत्या न होती हो।

57. लागत -(1) ऐसी शर्तों और सीमाओं, जो बोर्ड द्वारा निदेशित हों, के अध्यक्षीन सभी कार्यवाहियों की लागत और आकस्मिकता बोर्ड के विवेकानुसार दी जाएंगी और बोर्ड को यह निर्धारित करने का पूरा अधिकार होगा कि ये लागत किसके द्वारा और किस निधि से और कितनी मात्रा तक वहन की जाएंगी तथा उक्त प्रयोजनों के लिए सभी आवश्यक निदेश दिए जाएंगे।

(2) लागत का भुगतान आदेश की तारीख से तीस दिनों या बोर्ड द्वारा जारी आदेश, निदेश के अनुसार निर्धारित समय के अन्दर किया जाएगा।

58. बोर्ड द्वारा पारित आदेशों का प्रवर्तन - सचिव बोर्ड द्वारा अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार संबंधित व्यक्तियों द्वारा पारित आदेशों का प्रवर्तन और अनुपालन सुनिश्चित करेगा और यदि आवश्यक हुआ तो दिशा निर्देश के लिए बोर्ड के आदेश प्राप्त कर सकता है।

[सं. एस-ए डी एम एन/II/8/2007-खण्ड-1]

अजय त्यागी, सचिव

प्रपत्र - ।

याचिका/शिकायत के लिए सामान्य शीर्षक
(देखें विनियम 19)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली के समक्ष

फाइलिंग सं० -----

मामला सं० -----

(कार्यालय द्वारा भरा जाए)

----- के मामले में
(याचिका या शिकायत या आवेदन के उद्देश्य का सार)

----- और ----- के बीच
(याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता/आवेदक का नाम और पूरा पता तथा प्रतिवादियों का नाम और पूरा पता)

प्रपत्र -II

याचिका/शिकायत का प्रपत्र

(देखें विनियम 19)

सेवा में,

अध्यक्ष,

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

(पूरा पता)

1. याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता का नाम,
पता और फैक्स नं० :
2. विरोधी पक्ष के नाम, पते और फैक्स नं० :
3. याचिका/शिकायत किसके बारे में है :
4. याचिका/शिकायत का प्रकार
5. प्रार्थना :
6. याचिका/शिकायत के समर्थन में संलग्न दस्तावेज

भवदीय,

()

स्थान :

दिनांक :

प्रपत्र - III

शपथ - पत्र

(देखें विनियम 20)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली

फाइल संख्या

मामला नं०

(कार्यालय द्वारा भरा जाए)

..... के मामले में
(याचिका, शिकायत या आवेदन के उद्देश्य का सार)

..... और के बीच
(याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता/आवेदक का नाम और पूरा पता तथा प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों/विरोधी पक्ष
(पक्षों) के नाम और पूरे पते)

याचिका/उत्तर/आवेदन/शिकायत के सत्यापन को शपथ-पत्र

मैं पुत्र श्री उम्र वर्ष,
निवासी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ
कि :

1. मैं याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता/आवेदक/प्रत्यर्थी आदि हूँ या मैं उपर्युक्त मामले में
याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता/आवेदक/प्रत्यर्थी के के
निदेशक/सचिव/भागीदार हूँ और यह शपथ पत्र देने के लिए उक्त याचिकाकर्ता/
शिकायतकर्ता/आवेदक/प्रत्यर्थी द्वारा प्राधिकृत हूँ।

2. याचिका/आवेदन/उत्तर/शिकायत के पैराग्राफ से तक में दिया गया विवरण सूचना पर आधारित है जो मेरे संज्ञान में सत्य है।

में (स्थान) में आज दिनांक माह वर्ष में सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि उपर्युक्त शपथ पत्र में दिया गया विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है, इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

मेरे समक्ष द्वारा शिनाख्त की गई।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2007

G.S.R. 744(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (u), (v) and (w) of sub-section (2) of section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely:-

Chapter I

General

1. **Short title, commencement and interpretation.** - (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Conduct of Business, Receiving and Investigation of Complaints) Regulations, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** - (1) In these regulations, unless the context otherwise requires:

- a) "Act" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006;
- b) "Board" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board established under sub-section (1) of Section 3 of the Act;
- c) "Chairperson" means the Chairperson of the Board appointed under Section 4 of the Act;
- d) "Complaint" shall mean a "complaint" referred in Section 25 of the Act;

- e) "Member" means a Member of the Board appointed under Section 4 of the Act;
- f) "Officer" means an officer of the Board;
- g) "Petition" means and includes all petitions or complaints, applications, representations, replies, rejoinders, supplemental pleadings, other papers and documents;
- h) "Proceedings" means and include proceedings of all nature that the Board may hold in the discharge of its functions under the Act.

(2) Words or expressions occurring in these regulations and not defined herein but defined in the Act shall bear the same meaning as in the Act.

(3) Unless defined herein or in the Act, the provisions of the General Clauses Act, 1897 as amended from time to time shall apply to these regulations.

3. **Working hours of head office and regional offices of the Board.** - Unless otherwise directed, the head office and regional offices of the Board shall be open daily except on Saturdays, Sundays and Central Government holidays notified by the Central Government. The office timings shall be from 9.00 AM to 5.30 PM.

4. Where the last day for doing of any act falls on a day on which the office of the Board is closed and by reason thereof the act cannot be done on that day, it may be done on the next day on which the office is open.

5. The Board may hold sittings for hearing matters at the headquarters or at any other place on days and time to be specified by it.

6. **Language of the Board.** - Unless otherwise decided by the Board, the proceedings of the Board shall be conducted in English or Hindi.

7. No petition, complaint, documents or other material contained in any language other than English or Hindi may be accepted by the Board, unless the same is accompanied by a translation thereof in English or Hindi:

Provided that it shall be the duty of the party submitting such petition, complaint, documents or other material to accompany the correct translation thereof in English or Hindi:

Provided further that the Board may in appropriate cases get such translation to English or Hindi, as the case may be, verified by any person or body as it may deem fit, and such translation will have the same meaning as verified by such person or body.

8. **Seal of the Board.** - The Board shall have its own seal.

9. **Affixation of seal of the Board.** - The seal of the Board shall not be affixed to any instrument except in pursuance of a resolution of the Board.

10. **Manner and form in which contracts to be executed.** - (1) Any contract that may be entered into by the Board or on behalf of the Board shall be executed by the Secretary or any other officer duly authorized by the Chairperson in this regard and may in the same manner be varied or discharged.

(2) Any document connected with any contract may be signed and verified on behalf of the Board by the Secretary or any other officer duly authorized by the Chairperson in this regard.

(3) All contracts made according to the provisions of this regulation shall be valid and binding on the Board.

11. **Accounts and documents by whom to be signed.** - (1) The Secretary or any officer as may be nominated by the Chairperson are hereby severally authorised for and on behalf of the Board to endorse and transfer negotiable instruments, stock-receipts, stock, debentures, shares, securities and documents of title to movable and immovable properties standing in the name of or held by the Board, and to draw, accept and endorse bills of exchange and other instruments in

the current and authorised business of the Board and to sign all other accounts, receipts and documents connected with such business.

(2) Complaints, written statements, complaints, affidavits, petitions and any other documents connected with legal proceedings may be signed and verified on behalf of the Board by the Secretary or any officer authorised by the Chairperson to sign such documents for and on behalf of the Board.

12. Participation in proceedings before the Board. - (1) It shall be open to the Board to permit any association or other bodies corporate or any group of consumers to participate in any proceedings before the Board.

(2) It shall be open to the Board for the sake of timely completion of proceedings, to direct bunching up associations/groups referred to above so that they can make collective affidavits.

(3) The Board may as and when considered appropriate notify a procedure for recognition of associations, groups, forums or bodies corporate as registered consumers' associations for purposes of representing before the Board.

13. Representation of consumers' interest. - (1) The Chairperson may appoint any officer of the Board or any other person to represent consumers' interest if considered necessary.

(2) The Board may direct payment to the officer or person appointed to represent consumers' interests such fees, costs and expenses by such of the parties in the proceedings as the Board may consider appropriate.

CHAPTER II

GENERAL RULES CONCERNING THE PROCEEDINGS BEFORE THE BOARD

14. **Proceedings, etc. before the Board.** - The Board may from time to time hold hearings, meetings, discussions, deliberations, inquiries, investigations and consultations as it may consider appropriate in the discharge of its functions under the Act:

Provided that the meetings of the Board shall be convened in accordance with the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Meetings of the Board) Regulations, 2007, amended from time to time.

15. **Bench to settle disputes.** - A Bench consisting of the Member (Legal) and one or more Members nominated by the Chairperson shall decide the disputes under section 24 of the Act, in accordance to the provisions of the Act.

16. **Authority to represent.** - A person may authorise an advocate or a Member of any statutory professional body holding a Certificate of Practice as the Board may from time to time specify to represent him and act and plead on his behalf before the Board. The person may also appear himself or may authorise any of his employees to appear before the Board and to act and plead on his behalf. The Board may from time to time specify the terms and conditions subject to which a person may authorise any other person to represent him and act and plead on his behalf.

17. **Initiation of Proceedings.** - (1) The Board may initiate any proceedings suo motu or on a petition or complaint filed by any affected or interested person under the provisions of the Act.

(2) The notice of the initiation of the proceedings may be issued by the Board and the Board may give such orders and directions as may be deemed necessary, for service of notices to the affected parties, the filing of reply and rejoinder in opposition or in support of the petition or complaint in such form as it may direct. The Board may, if it considers appropriate, issue orders for publication of the petition or complaint inviting comments on the issues involved in the proceedings in such form as the Board may direct.

(3) While issuing the notice of inquiry the Board may, in appropriate cases, authorize an officer of the Board or any other person whom the Board considers appropriate to present the matter in the capacity of the petitioner/complainant in the case.

18. **Petitions or complaints and pleadings before the Board.** - All petitions or complaints to be filed before the Board shall be typewritten, cyclostyled or printed neatly and legibly on one side of white paper and every page shall be consecutively numbered. The contents of the petition or complaint should be divided appropriately into separate paragraphs, which shall be numbered serially. The petition or complaint shall be accompanied by such documents supporting data and statements as the Board may specify.

19. **General headings and form of complaint.** - The general heading in all petitions or complaints before the Board and in all publications and notices shall be in Form I. Every petition or complaint shall be as per Form II or as near thereto as may be possible.

20. **Affidavit in Support.** - (1) The petitions or complaints shall be verified by an affidavit and every such affidavit shall be in Form III.

(2) Every affidavit shall be drawn up in the first person and shall state the full name, age, occupation and address of the deponent and the capacity in which he is signing and shall be signed and sworn before a person lawfully authorised to take and receive affidavits.

(3) Every affidavit shall clearly and separately indicate the statements, which are true to the -

- a) knowledge of the deponent;
- a) information received by the deponent; and
- b) belief of the deponent.

(4) Where any statement in the affidavit is stated to be true to the information received by the deponent, the affidavit shall also disclose the source of the information and a statement that the deponent believes that information to be true.

21. Whoever intentionally gives false evidence in any of the proceedings of the Board or fabricates false evidence for the purpose of being used in any of the proceedings shall be punishable in accordance with Section 193 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

22. **Presentation and scrutiny of the petitions or complaints.** - (1) All petitions or complaints shall be filed with ten copies and each set of the petition or complaint shall be complete in all respects. The fees as may be prescribed by the Board shall be payable along with the petition or complaint.

(2) All petitions or complaints shall be presented in person or by any duly authorised agent or representative at the head office or such other filing centre or centres as may be notified by the Board from time to time and during the time notified. The petitions or complaints may also be sent by registered post acknowledgement due to the Board at the places mentioned above. The vakalatnama in favour of the advocate and, in the event the petitions or complaints are presented by an authorised representative, the document authorising the representative shall be filed alongwith the petition or complaint, if not already filed on the record of the case.

(3) Upon receipt of the petition or complaint, the officer of the Board authorised for the purpose of receiving the petition or complaint, shall acknowledge the receipt by stamping and endorsing the date on which the petition or complaint has been presented and shall issue an acknowledgment with stamp and date to the person filing the petition or complaint. In case the petition or complaint is received by registered post the date on which the petition or complaint is actually received at the office of the Board shall be taken as the date of the presentation of the petition or complaint.

(4) The presentation and receipt of the petition or complaint shall be duly numbered and entered in the register maintained for the purpose by the office of the Board.

(5) The receiving officer may decline to accept any petition or complaint which does not conform to the provisions of the Act or the Rules or the Regulations or directions given by the Board or is otherwise defective or which is presented otherwise than in accordance with the regulations or directions of the Board:

Provided that no petition or complaint shall be refused for defect in the pleadings or in the presentation, without giving an opportunity to the person filing the petition or complaint to

rectify the defect within the time which may be given for the purpose. The receiving officer shall advise in writing the person filing the petition or complaint of the defects in the petition or complaint filed.

(6) A person aggrieved by any order of the receiving officer in regard to the presentation of the petition or complaint may request for the matter to be placed before the Secretary of the Board for appropriate orders.

(7) The Chairperson or any Member as the Chairperson may authorise for the purpose shall be entitled to call for the petition or complaint presented by the party and give such directions regarding the presentation and acceptance of the petition or complaint as he considers appropriate.

(8) If on scrutiny, the petition or complaint is not refused or any order of refusal is rectified by the Secretary or by the Chairperson or the Member of the Board authorised for the purpose, the petition or complaint shall be duly registered and given a number as specified in sub-clause (4) above.

(9) As soon as the petition or complaint and all necessary documents are lodged and the defects and objections, if any, are removed, and the petition or complaint has been scrutinised and numbered, the petition or complaint shall be put up before the Board for preliminary hearing and admission.

(10) The Board may admit the petition or complaint for hearing without requiring the attendance of the party. The Board shall not pass an order refusing admission without giving the party concerned an opportunity of being heard. The Board may, if it considers appropriate, issue notice to such person or persons, as it may desire to hear the petition or complaint for admission. In the case of a complaint, the Board shall decide within thirty days whether there is a prima facie case against the entity or entities concerned and may either investigate on its own or refer the matter for investigation, in accordance with the provisions of the Act, to an investigation officer having jurisdiction; and when the matter is referred to such investigating officer, on receipt of report from him, the Board may hear and dispose of the complaint as a dispute in accordance with the

provisions of the Act and in other case, it may pass such orders and issue such direction as it deems fit.

(11) If the Board admits the petition or complaint, it may give such orders and directions, as may be deemed necessary, for service of notices to the respondent(s) and other affected or interested parties, for the filing of replies and rejoinder in opposition or in support of the petition or complaint in such form as the Board may direct and for the petition or complaint to be placed for hearing before the Board or a Bench, as the case may be.

23. **Service of notices and processes issued by the Board.** - (1) Any notice, process or summons to be issued by the Board may be served by any one or more of the following modes as may be directed by the Board:

- a) through any of the parties to the proceedings as may be directed by the Board;
- b) by hand delivery through a messenger;
- c) by registered post with acknowledgement due;
- d) by publication in newspapers in cases where the Board is satisfied that it is not reasonably practicable to serve the notices, processes, etc., on any person in the manner mentioned above;
- e) in any other manner as considered appropriate by the Board.

(2) The Board shall be entitled to decide in each case the persons who shall bear the cost of such service or publication.

(3) Every notice or process required to be served on or delivered to any person may be sent to the person or his agent empowered to accept service at the address furnished by him for service or at the place where the person or his agent ordinarily resides or carries on business or personally works for gain.

(4) In the event any matter is pending before the Board and the person to be served has authorised an agent or representative to appear for or represent him or her in the matter, such agent or representative shall be deemed to be duly empowered to take service of the notices and

processes on behalf of the party concerned in all matters and the service on such agent or representative shall be taken as due service on the person to be served.

(5) Where a notice is served by a party to the proceedings either in person or through registered post, an affidavit of service shall be filed by such party with the Board giving details of the date and manner of service of notices and processes.

(6) Where any petition or complaint is required to be published it shall be published in such form in the newspapers to be specified, for such duration and within such time as the Board may direct.

(7) In default of compliance with the requirements of the regulations or directions of the Board as regards the service of notices, summons or processes or the publication thereof, the Board may either dismiss the petition or complaint or give such other or further directions as it thinks fit.

(8) No service or publication required to be done shall be deemed invalid by reason of any defect in the name or description of a person provided that the Board is satisfied that such service is in other respects sufficient, and no proceedings shall be invalidated by reason of any defect or irregularity unless the Board on an objection taken, is of the opinion that substantial injustice has been caused by such defect or irregularity or there are otherwise sufficient reasons for doing so.

24. Filing of reply, opposition, objections, etc. - (1) Each person to whom the notice of inquiry or the petition or complaint is issued (hereinafter called the 'respondent') who intends to oppose or support the petition or complaint shall file the reply and the documents relied upon within such period with ten copies. In the reply filed, the respondent shall specifically admit, deny or explain the facts stated in the notice of inquiry or the petition or the complaint and may also state such additional facts as he considers necessary for just decision of the case. The reply shall be signed and verified and supported by affidavit in the same manner as in the case of the petition or complaint.

(2) The respondent shall serve a copy of the reply along with the documents duly attested to be true copies on the petitioner or complainant or his authorised representative and file proof of such service with the office of the Board.

(3) Where the respondent states additional facts as may be necessary for the just decision of the case, the Board may allow the petitioner/complainant to file a rejoinder to the reply filed by the respondents. The procedure mentioned above for filing of the reply shall apply mutatis mutandis to the filing of the rejoinder.

(4) Every person who intends to file objection or comments in regard to a matter pending before the Board, pursuant to the publication made for the purpose (other than the persons to whom notices, processes, etc. have been issued calling for reply) shall deliver to an officer designated by the Board for the purpose the statement of the objection or comments with copies of the documents and evidence in support thereof within the time fixed for the purpose.

(5) The Board may permit such person or persons including associations, forums and bodies corporate as it may consider appropriate to participate in the proceedings before the Board if, on the report received from the officer, the Board considers that the participation of such person or persons will facilitate the proceedings and the decision in the matter.

(6) Unless permitted by the Board, the person filing objection or comments shall not necessarily be entitled to participate in the proceedings to make oral submissions. However, the Board shall be entitled to take into account the objections and comments filed after giving such opportunity to the parties to the proceedings as the Board considers appropriate to deal with the objections or comments.

25. **Hearing of the matter.** - (1) The Board may determine the stages, manner, the place, the date and the time of the hearing of the matter, as it considers appropriate.

(2) The Board may decide the matter on the pleadings of the parties or may call for the parties to produce evidence by way of affidavit or lead oral evidence in the matter.

(3) If the Board directs evidence of a party to be led by way of oral submission, the Board may, if considered necessary or expedient, grant an opportunity to the other party to cross-examine the persons giving evidence.

(4) The Board may, if considered necessary or expedient, direct that the evidence of any of the parties be recorded by an officer or person authorised for the purpose by the Chairperson.

(5) The Board may direct the parties to file written note of arguments or submissions in the matter.

26. Powers of the Board to call for further information, evidence, etc. - (1) The Board may, at any time before passing orders on any matter, require the parties or any one or more of them or any other person whom the Board considers appropriate to produce such documentary or other evidence as the Board may consider necessary for the purpose of enabling it to pass orders.

(2) The Board may direct summoning of the witnesses, discovery and production of any document or other material objects produce-able in evidence, requisition of any public record from any office, examination by an officer of the Board the books, accounts or other documents or information in the custody or control of any person which the Board considers relevant to the matter.

(3) Whoever intentionally gives false evidence in any of the proceedings of the Board or fabricates false evidence for the purpose of being used in any of the proceedings shall be punishable in accordance with Section 193 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

(4) Whoever intentionally offers any insult or causes any interruption in any of the proceedings of the Board, shall be punishable in accordance with Section 228 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

27. Reference of issues to others. - (1) At any stage of the proceedings, the Board shall be entitled to refer such issue or issues in the matter as it considers appropriate to persons including,

but not limited to, the officers and consultants of the Board whom the Board considers as qualified to give expert advice or opinion.

(2) The Chairperson may nominate from time to time any person including, but not limited to the officers and consultants to visit any place or places for inspection and report on the existence or status of the place or any facilities therein.

(3) The Board if it thinks fit, may direct the parties to appear before the persons designated in sub-clause (1) or (2) above to present their respective views on the issues or matters referred to.

(4) The report or the opinion received from such person shall form a part of the record of the case and the parties shall be given the copies of the report or opinion given by the person designated by the Board. The parties shall be entitled to file their version either in support or in opposition to the report or the opinion.

(5) The Board shall duly take into account the report or opinion given by the person, the reply filed by the parties while deciding the matter and if considered necessary the examination before the Board of the person giving the report or the opinion.

28. **Procedure to be followed where the party does not appear.** - (1) Where, on the date fixed for hearing or any other date to which such hearing may be adjourned, any of the parties or his authorised agent or representative does not appear when the matter is called for hearing, the Board may, in its discretion, either dismiss the petition or complaint for default when the petitioner/complainant or the person who moves the Board for hearing is in default or proceed ex parte.

(2) Where a petition or complaint is dismissed in default or decided ex parte, the person aggrieved may file an application within thirty days from the date of such dismissal or being proceeded ex parte, as the case may be, for recall of the order passed, and the Board may recall the order on such terms as it thinks fit, if the Board is satisfied that there was sufficient cause for the non-appearance when the petition or complaint was called for hearing.

29. **Orders of the Board.** - (1) All orders and decisions issued or communicated by the Board shall be certified by the signature of the Secretary or any other officer of the Board empowered in this behalf by the Chairperson and bear the official seal of the Board.

(2) All final orders of the Board shall be communicated to the parties to the proceedings under the signature of the Secretary or any officer of the Board empowered in this behalf by the Chairperson.

30. **Inspection of records of proceedings and supply of certified copies.** - (1) Records of every proceeding, except those parts which for reasons specified by the Board are confidential or privileged or otherwise not to be disclosed to any person, shall be open to inspection either during the proceeding or after the orders have been passed, subject to such person complying with such terms as the Board may direct from time to time including in regard to time, place and manner of inspection and payment of fee.

(2) Any person shall be entitled to obtain certified copies of the orders, decisions, directions and reasons in support thereof given by the Board as well as the pleadings, papers and other parts of the records of the Board to which he is entitled to inspect on payment of fee under sub-clause (1) above and complying with other terms which the Board may direct.

31. **Interim orders.** - The Board may pass such interim orders as the Board may consider appropriate at any stage of the proceedings.

CHAPTER III SETTLEMENT OF DISPUTES

32. The settlement of disputes in regard to matters mentioned in Section 24 of the Act may be commenced by the Board on the application of any of the persons concerned.

33. The Board shall issue notice to the concerned person(s) and to such other person(s) as the Board considers appropriate to show cause as to why the dispute should not be settled by the Board.

34. The Board may, after hearing the parties to whom notices have been issued and if satisfied that no reason or cause has been shown against the proposed settlement, pass an order directing that the disputes or the matter be settled by the Board.

35. The procedure for settlement of disputes to be followed by the Board shall be as far as possible the same as in the case of hearing before the Board as provided for in Chapter II above.

36. The cost of the settlement of disputes and proceedings before the Board shall be borne by such parties and in such sums as the Board may direct.

CHAPTER IV

INVESTIGATION, INQUIRY, COLLECTION OF INFORMATION, ETC.

37. The Board may make such order or orders as it thinks fit for collection of information, inquiry, investigation, entry, search, seizure, and without prejudice to the generality of its powers in regard to the following provisions.

38. The Board may at any time, direct the Secretary or any one or more officers of the Board or consultants or any other person as the Board considers appropriate to study, investigate or furnish information with respect to any matter within the purview of the Board under the Act.

39. The Board may for the above purpose give such other directions as it may deem fit and specify the time within which the report is to be submitted or information furnished.

40. The Board may issue or authorise the Secretary or any officer of the Board to issue directions to any person to produce before it and allow to be examined and kept by an officer of the Board authorised in this behalf the books, accounts, etc. or to furnish information to such officer.

41. The Board may, for the purpose of collecting any information, particulars or documents which the Board considers necessary in connection with the discharge of its functions under the Act, issue such directions as may be considered necessary.

42. If any such report or information obtained appears to the Board to be insufficient or inadequate, the Board or Secretary or any officer of the Board authorised for the purpose may give directions for further inquiry, report and furnishing of information.

43. The Board may direct such incidental, consequential and supplemental matters be attended to, which may be considered relevant in connection with the above.

44. In connection with the discharge of the above functions, the Board may, if it thinks fit, direct a notice of inquiry to be issued and proceed with the matter in a manner provided under Chapter II of these regulations.

CHAPTER V

MISCELLANEOUS

45. **Continuance of proceeding after death, etc.** - (1) Where in any proceeding any of the parties to the proceedings dies or is adjudicated as an insolvent or in the case of a company under liquidation or winding-up, the proceedings shall continue with the successors-in-interest, the executor, administrator, receiver, liquidator or other legal representative of the party concerned.

(2) The Board may, for reasons to be recorded, treat the proceedings as abated in case the Board so directs and dispense with the need to bring the successors-in-interest, etc. on the record of the case.

(3) In case any person wishes to bring on record the successors-in-interest, etc., the application for the purpose shall be filed within ninety days from the event requiring the successors-in-interest to come on record.

46. **Proceedings to be open to public.** - (1) The proceedings before the Board shall be open to the public:

Provided that the Board may, if it thinks fit, and for reason to be recorded in writing, order at any stage of the proceedings of any particular case that the public generally or any particular person or group of persons shall have restricted access.

(2) Whoever intentionally gives false evidence in any of the proceedings of the Board or fabricates false evidence for the purpose of being used in any of the proceedings shall be punishable in accordance with Section 193 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

(3) Whoever intentionally offers any insult or causes any interruption in any of the proceedings of the Board shall be punishable in accordance with Section 228 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

47. **Publication of petition or complaint.** - (1) Where any application, petition or complaint, or other matter is required to be published under the Act or these regulations or as per the directions of the Board, it shall, unless the Board otherwise orders or the Act or regulations otherwise provide, be published not less than seven days before the date fixed for hearing.

(2) Except as otherwise provided, such publication shall give a heading describing the subject matter in brief.

(3) Such publication to be published shall be approved by the officer of the Board authorised for the purpose.

48. **Inspection of records and confidentiality.** - (1) Records of the Board except those parts which for reasons specified by the Board are confidential or privileged, shall be open to inspection by all, subject to complying with the terms as the Board may direct from time to time including in regard to time, place and manner of inspection and payment of fee.

(2) The Board may, on such terms and conditions as it considers appropriate, provide for the supply of the certified copies of the documents and papers available with the Board to any person.

(3) The Board may, by order, direct that any information, documents and other papers and materials produced before the Board or any of its officers, consultants, representatives or

otherwise which may be, or come into, their possession or custody, shall be confidential or privileged and shall not be available for inspection or supply of copies, and the Board may also direct that such documents, papers or materials shall not be used in any manner except as specifically authorised by the Board.

49. **Issue of orders and directions on procedures.** - Subject to the provisions of the Act and these regulations, the Board may, from time to time, issue orders and directions in regard to the implementation of the regulations and procedure to be followed and various matters which the Board has been empowered by these regulations to specify or direct.

50. **Saving of inherent power of the Board.** - Nothing in these regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Board to make such orders as may be necessary for ends of justice or to prevent the abuse of the process of the Board.

51. Nothing in these regulations shall bar the Board from adopting in conformity the provisions of the Act, a procedure, which is at variance with any of the provisions of these regulations, if the Board in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such matter or class of matters.

52. Nothing in these regulations shall, expressly or impliedly, bar the Board to deal with any matter or exercise any power under the Act for which no regulations have been framed, and the Board may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.

53. **General power to amend.** - The Board may, at any time and on such terms as to costs or otherwise, as it may think fit, amend any defect or error in any proceeding before it, and all necessary amendments shall be made for the purpose of determining the real question or issue arising in the proceedings.

54. **Power to remove difficulties.** - If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these regulations, the Board may, by general or special order, do anything not

4B416Z/07—6

being inconsistent with the provisions of the Act, which appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing difficulties.

55. **Extension or abridgment of time prescribed.** - Subject to the provisions of the Act, the time prescribed by these regulations or by order of the Board for doing any act may be extended (whether it has already expired or not) or abridged for sufficient reason by order of the Board.

56. **Effect of non-compliance.** - Failure to comply with any requirement of these regulations shall not invalidate any proceeding merely by reason of such failure unless the Board is of the view that such failure has resulted in miscarriage of justice.

57. **Costs** - (1) Subject to such conditions and limitation as may be directed by the Board, the cost of, and incidental to, all proceedings shall be awarded at the discretion of the Board and the Board shall have full power to determine by whom or out of what funds and to what extent such costs are to be paid and give all necessary directions for the aforesaid purposes.

(2) The costs shall be paid within thirty days from the date of the order or within such time as the Board may, by order, direct.

58. **Enforcement of orders passed by the Board.** - The Secretary shall ensure enforcement and compliance with the orders passed by the Board, by the persons concerned in accordance with the provisions of the Act and regulations and if necessary, may seek the orders of the Board for directions.

[No. S-Admn./11/8/2007-Vol.-I]

AJAY TYAGI, Secy.

FORM I

GENERAL HEADING FOR PETITION/COMPLAINT

(see Regulation 19)

**BEFORE THE PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD, NEW
DELHI**

Filing No. _____

Case No. _____

(To be filed by the Office)

In the matter of:

(Gist of the purpose of the petition or complaint or application)

Between:

(Names and full addresses of the petitioner/complainant/applicants and names and full addresses of the respondents).

FORM II

FORMAT OF PETITION/COMPLAINT

(see Regulation 19)

To

The Chairperson,
The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board
(Full Address)

1. Petitioner's/Complainant's Name,
Address and Fax No:
2. Names, Addresses & Fax No. of the Opposite Parties:
3. What the petition/complaint is about:
4. Nature of petition/complaint:
5. Prayer:
6. Documents enclosed in support of the petition/complaint:

Yours faithfully,

Place:

Date:

()

FORM III

AFFIDAVIT
(see Regulation 20)BEFORE THE PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD, NEW
DELHIFiling No. _____
Case No. _____
(To be filed by the Office)In the matter of:
(Gist of the purpose of the petition or complaint or application)Between:
(Names and full addresses of the petitioner/complainant/applicant and names and full addresses
of the respondent (s)/opposite party (ies).Affidavit verifying the petitions/reply/application/complaintI, _____, son of _____, aged _____ years, residing at _____, do
solemnly affirm and say as follows:1. I am the Petitioner/Complainant/Applicant/Respondent etc. or I am a
Director/Secretary/partner of _____ of _____
the Petitioner/Complainant/Applicant/Respondent in the above matter and am duly authorised by
the said Petitioner/Complainant/Applicant/Respondent to make this affidavit.2. The statements made in paragraphs _____ to _____ of the
Petition/Application/Reply/Complaint herein are true to my knowledge and the statements made
in paragraphs _____ to _____ are based on information and I believe them to be true.Solemnly affirmed at _____ on this _____ day of _____ that the contents of the above affidavit
are true to my knowledge, no part of it is false and nothing material has been concealed there
from.

DEPONENT

Identified before me by _____

